E-mail

बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0सं0–3जी0(बजट–ए0सी0 / डी0सी0)–126–10 / 11– 784

प्रेषक,

सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय उपनिदेशक, कल्याण
सभी जिला कल्याण पदाधिकारी ।

पटना, दिनांक– 23.4.13

विषय :– **सार विपत्रों पर निकासी की गयी राशि के समायोजन के संबंध में।**

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक 677 दिनांक 05 / 04 / 2013 एवं 748 दिनांक 15 / 04 / 2013

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में अनुपालन हेतु दिनांक 09 / 04 / 2013 को बैठक में आपको एक सप्ताह का समय दिया गया था । पुनः विभागीय पत्रांक 748 दिनांक 15 / 04 / 2013 द्वारा दिनांक 16 / 04 / 2013 तक अनुपालन प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया था । प्रासंगिक पत्र के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालयों से मात्र 0.91 करोड़ की राशि का समायोजन महालेखाकार कार्यालय में हुआ है । स्पष्ट है कि विभागीय प्रासंगिक पत्र के अनुपालन में शिथिलता एवं उदासीनता बरती जा रही है। यह दुःखद स्थिति हैं ।

वर्णित स्थिति में यह निर्देश दिया जाता है कि सभी जिला कल्याण पदाधिकारी अपने–अपने कार्यालय के बिलबुक, कन्टीजेन्ट रजिस्टर के साथ–साथ अपने– अपने नाजिर एवं प्रधान सहायक तथा संबंधित उपनिदेशक (कल्याण) दिनांक **25 / 04 / 2013** को **11.00 बजे दिन** में विभागीय समीक्षात्मक बैठक में उपस्थित होकर प्रासंगिक पत्र में निहित्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर समायोजन हेतु डुप्लीकेट विपत्रों को उप महालेखाकार, बिहार के कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेगे । ततपश्चात समायोजन कराकर विपत्रवार समायोजित राशि की हस्ताक्षरित विवरणी विभाग को समर्पित करना सुनिश्चित करेगें ।

विश्वासभाजन,

सरकार के सचिव
23/4/13

letter secretary new